परिशिष्ट-II

राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान
<u>कर्मचारी कल्याण निधि</u>

1. शीर्षक आरंभ औरलागू:इस योजना को**" <u>रा.प्र.सं. कर्मचारी कल्याण निधि</u> " के नाम से जाना जाएगा**।
यह 01/04/2008 सेलागू होगी।कल्याण योजना रा.प्र.सं. के नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी।
2.**लक्ष्य एवं उद्देश्य:**इस योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य सरकारी ड्यूटी पर तैनात संस्थान के कर्मचारी को चोट लगने या मृत्यु होनेपर उसे या उसके परिवार को वित्तीय राहत देना है।

3. परिभाषा:
क) "**कर्मचारी"** का अर्थ है - रा.प्र.सं. की नफरी में शामिल नियमित कर्मचारी ।

ख) **"दुर्घटना"** का अर्थ ड्यूटी पर तैनातीअथवा कार्यस्थल के लिए यात्रा के दौरान अथवा कार्यालयीन कार्य से सम्बंधित किसी गतिविधि के दौरान दुर्घटना ग्रस्त होना।

ग) "**क्षति"** का अर्थ है हिंसा से क्षति अथवा दुर्घटना से मृत्यु या अनुसूची-1 में वर्णित विकलांगता या उपयुक्तचिकित्सा प्राधिकारीद्वारा प्रमाणितकिसी अन्य प्रकार की चिकित्सा विकलांगता।

घ) **"चोट की तारीख"** का अर्थ है हिंसा या दुर्घटना की स्थितिका वास्तविक दिन जिस दिन कर्मचारी दुर्घटना ग्रस्त हुआ है या यथोचित चिकित्साप्राधिकारी को सूचित करने की तारीखके बाद नहीं।

ड़)**"हिंसा"**का अर्थ है व्यक्ति (यों) के कार्य जिस सेसंस्थानके कर्मचारी की क्षति हुईया मृत्यु हो गई हो:-

i. कर्मचारी पर हमला करना या कार्य करने से रोकना या उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन से मना करना या रोकना ।

ii. संस्थान के कर्मचारी द्वारा कुछ करने पर या करने का प्रयास करने पर या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा अपने वैध कर्तव्य का निर्वहन करना।

iii. संस्थानके कर्मचारी की आधिकारिक स्थिति के कारण।

च) "**सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ है निदेशक रा.प्र.सं. या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

छ)"**उचित चिकित्सा प्राधिकारी**" का अर्थ हैचिकित्सा नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत एक अधिकारी।

4.पात्रता: जब संस्थान के कर्मचारी की दुर्घटना या हिंसा में घायल होने पर मृत्यु हो जाती है, तब उसके पति या पत्नी/बच्चों/माता-पिता आदिअनुछेद-7 के अनुसार राहत पाने के पात्र होंगे।चोट लगने से ज़ख़्मी होने पर कर्मचारी अनुछेद -9 के अनुसार राहत पाने का पात्र होगा। नियमों के अनुसार इस योजना से मिलने वाली राहत कर्मचारी को संस्थानद्वारा मिली अन्यसुविधाओं के अतिरिक्त होगी।

5.राहत भुगतान के लिए शर्तें:-

(क)सक्षम प्राधिकारीकी मंजूरीके बिना इस योजना के अंतर्गत किसीराहत का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(ख)राहत के लिएकिसी दावे पर तब तकविचारनहींकिया जाएगा : -

i.जब तक कि दुर्घटना की सूचना योजना में बताई गई रीती से न दी हो ।
ii.दुर्घटना या मृत्यु की तिथि से तीन महीने के भीतर निर्धारित फॉर्म में दावा जमा नहीं किया गया हो।

असाधारण मामलों में, निदेशक अपने विवेकाधिकार से इस योजना के अंतर्गत राहत की मंजूरी दे सकते हैं,अगर वे संतुष्ट हैं कि दुर्घटना कि जानकारी या दावा न भर पाने के पर्याप्त कारण रहेहैं।

6.<u>विकलांगता का निर्धारण</u>:-क्षति के कारण विकलांगता का प्रतिशत अनुसूची-Iमें निर्दिष्टप्रावधानों के अनुसार होगा,इसके न होने परउपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर माना जाएगा।

7.<u>किसे मिलेगा</u>:-योजना के अस्तित्व में आने के एक महिने की अवधि के अंदर,हर कर्मचारीपरिशिष्ट-'बी'में दिए गए प्रपत्र में नामांकन भरेगा।संस्थान के कर्मचारी की मृत्यु होने पर राहत की राशि का भुगतान नामांकन के अनुसार किया जाएगा।

सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कर्मचारी को अपना नामांकन बदलने का अधिकार होगा। यदि नामांकन नहीं दिया गया है, तो राहत की राशि का भुगतान निम्न क्रम में किया जाएगा:-

क) <u>अगर कर्मचारी कापरिवारहै :</u>
(i) पुरुष कर्मचारीकेमामलेमेंन्यायिक रूप से अलग पत्नीयापत्नियोंसहित पत्नी यापत्नियाँ ।
(ii) महिला कर्मचारीकेमामलेमेंन्यायिक रूप से अलग पति सहितपति।
(iii) सौतेले पुत्र या दत्तक पुत्र सहित पुत्रों।
(iv) सौतेली पुत्रियाँ या दत्तक पुत्री सहित पुत्रियाँ।

ख) <u>अगर अधिकारी का परिवार नहीं है</u> :

(i) सौतेली पुत्रियाँ और दत्तक पुत्रियों सहित विधवा पुत्री
(ii)दत्तक पिता सहित पिता
(iii)दत्तक माता सहित माता
(iv)18 वर्ष से कम आयु के भाई सहित सौतेला भाई
(v)अविवाहित बहनों के साथ विधवा बहनें तथा सौतेली बहनें
(vi)विवाहित पुत्रियाँ; और
(vii)पूर्व मृतक बेटे की संतान

8. दावे के लिए प्रक्रिया:- कर्मचारी की मृत्यु या चोट लग जाने पर इस योजना के तहत राहत के लिए दावानिर्धारित फॉर्म में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ रा.प्र.सं. के निदेशक के पास जमा कराना होगा:-

(क) दुर्घटना से चोट या हिंसा के कारणअंग/आँखखो देने आदि के मामले में।

i.प्रत्यक्षदर्शीके बयानके साथ परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिसके कारणक्षति पहुंची,अगर कोई है तो;
ii.पुलिस रिपोर्ट
iii.उचित चिकित्सा प्राधिकारी / बोर्ड द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अस्पताल का प्रमाणपत्र

(ख) दुर्घटना या हिंसा से मृत्यु की स्थिति में,

i.जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने वाले उपयुक्तस्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र;
ii.शवपरीक्षात्व प्रमाण पत्र/पुलिस रिपोर्ट/पंचनामा,(शवपरीक्षात्व रिपोर्ट पर जोर नहीं दिया जाए अगर दुर्घटना या हिंसा के कारण मृत्यु होने के संतोषजनक दस्तावेजी सबूत उपलब्ध हैं).

<u>मुआवजे की राशि</u>

क)मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में रू 2.50 लाख
ख)आंशिक रूप से स्थायी विकलांगता के मामले मेंअनुसूची - I में निर्दिष्ट विकलांगता के अनुपात में

अगर विकलांगता से कर्मचारी की मौत हो जाती है तो विकलांग होने पर दी गई राहत की राशि को मृत्योपरांत मिलने वाली राहत राशि के साथ समायोजित किया जाएगा ।

अगर मृत्यु या चोट लगनेपर अस्पताल में कम से कम 10 दिन तक भर्तीरहनापड़ता है तो कर्मचारी द्वारा नामांकित व्यक्ति कोअंतरिम अदायगी के रूप में 15000/- रू. का भुगतान किया जाएगा जिसे अंतिम भुगतान की राशि में समायोजित किया जाएगा।

मुख्यालय से दूर किसी स्टेशन पर कर्मचारी की मौत के मामले में, अधिकतम दो करीबी रिश्तेदारों कोआने-जाने का हवाई यात्रा का व्यय,अगर वह जगह हवाई यात्रा से नहीं जुड़ी है, तो रेल यात्रा या सड़क यात्रा में खर्च होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति, बिल या रसीद आदि जमा करने पर की जाएगी। इसके अलावा, दो करीबी रिश्तेदारों को 3 दिन तक दूसरे स्टेशन पर आवास और भोजन पर खर्च होने वाली राशि की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी ।अगर मृतक कर्मचारी के शव को दाह संस्कार/दफन के लिए मुख्यालय पर लाया जा रहा है, तबशवलेप और अन्य आकस्मिक खर्च कीप्रतिपूर्ति भी स्वीकार्य होगी।अगर दुर्घटना मुख्यालय से दूर किसी ऐसी जगह पर घटी है,जहाँउस स्टेशन परकर्मचारी को क्षति के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है, तो घायल कर्मचारीके अधिकतम दो करीबी रिश्तेदारों को कर्मचारी की श्रेणी अनुसार रेल यात्रातथा 3 दिन तक के लिए आवास तथा भोजन शुल्क आदिकी भी प्रतिपूर्ति की जाएगी । दावे के साथ बिल तथा रसीद लगाई जाएगी ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान के निदेशक 100प्रतिशत स्थाई अपंग होनेके मामले में कर्मचारी को कृत्रिम अंग, विकलांग के लिए सवारी या अन्यउपकरण, यदि ज़रूरी है और सिविल सेवा (चिकित्सा) नियमों के अंतर्गत प्रतिपूर्तीनहीं की जा सकती है की खरीद के लिए 25,000/-रूपए मंजूर कर सकते हैं, परन्तु यह एकसमय अनुदान होगा और इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत राहत के अतिरिक्त होगा।

10.निधि कीस्थापना

रा.प्र.सं. स्टाफ कल्याण निधि का गठन किया जाएगा :-
क)शेयरों के एवज में स्टाफ कल्याण निधि घटक के रूप में/ संस्थान द्वारा इस निधि के तहत प्राप्त रॉयल्टी।

ख) हर सदस्य कल्याण निधिमें रू 50 प्रतिमाह की दर से अंशदान करेगा जो उसके मासिक वेतन से काटा जाएगा और रा.प्र.सं. कर्मचारी कल्याण निधि में जमा किया जाएगा।

11. व्याख्या तथा रियायत देने की शक्ति

जहां/कहीं भीइस योजना के किसी भी प्रावधान की व्याख्या में कोई संदेह उठता है; तो मामले को निदेशक रा.प्र.सं. को भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

निदेशक रा.प्र.सं. अपने विवेकाधिकार से मद 9(अ) एवं 9(बी) में निर्धारित मुआवजे की राशि के प्रावधान को छोड़कर इस योजना के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकते हैं।

परिशिष्ट-ब

रा.प्र.सं.राहतयोजनाकेतहतलाभके लिएनामांकन

मैं ----------नीचेलिखे व्यक्तियों कोमनोनीत करता हूँ, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, और उन्हें नीचेनिर्दिष्टकी गई राशि प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ, जो मेरे कार्यकाल के दौरानमेरी मृत्योपरांत रा.प्र.संकर्मचारी कल्याण निधि द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम एवं पता	रा.प्र.सं. कर्मचारीसे संबंध	आयु	प्रत्येक को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा (पति/पत्नी के मामले में 100%)	आकस्मिकताएं जिनमें नामांकन अमान्य होगा	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के कर्मचारी से पहले यदि नामांकित कीमृत्यु हो जाती है तो नामांकित का अधिकार किसे जाएगा उस व्यक्ति का नाम,पता तथासंबंध यदि कोई है तो।	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

एन.बी.-कर्मचारी अंतिमप्रविष्टिकरने के बाद रिक्त स्थानको भरने के लिए एक रेखा खींच दे ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद किसी और नाम की प्रविष्टि न की जा सके।

दिनांक: ----------दिन----------20 -----पर ----------.

दो गवाहों केहस्ताक्षर:

कर्मचारी के हस्ताक्षर

पद:----------

अनुसूची -I

भाग-I

चोटों की सूची जो कुल स्थायी विकलांगता में परिवर्तित हो सकती हैं

क्रम संख्या	चोट कावर्णन	अर्जन क्षमता कीहानिका प्रतिशत
1	दोनों हाथों कीहानिया अधिकसाइटों कोविच्छेदन	100
2	हाथ और पैर का नुकसान	100
3	पैर विच्छेदन, एक पैर का जाँघ से कटना या जाँघ से दोनों पैरो का विच्छेदन	100
4	देखने की क्षमता का इस तरह से कम हो जाना जिससे की उस तरह के काम को करना मुश्किल हो जैसा काम दिया जाता है	100
5	चेहरे पर बहुत गंभीर विरूपण	100
6	पूर्ण बहरापन	100

भाग-II

चोटों की सूची जो कुल आंशिक विकलांगता में परिवर्तित हो सकती हैं
विच्छेदन मामले-ऊपरी अंग
(कोई भी हाथ)

1	कंधे के जोड़ सेविच्छेदन	90
2	कंधे केनीचे सेविच्छेदन और कम से कम सिरे से अंसकूट 8"के स्टंपकेसाथ	80
3	सिरे से अंसकूट 8"के विच्छेदन से 4-1/2"के नीचेकूर्परकीटिप से कम	70
4	अंगूठे की हानि या एक हाथ की चार अँगुलियों की हानि	60
5	अंगूठे का नुकसान	30
6	अंगूठे का नुकसानऔर उसकी करभिकास्थिकहड्डी	40
7	एक हाथ की चारउंगलियोंकानुकसान	50
8	एक हाथ की तीन उंगलियोंकानुकसान	30
9	एक हाथ की दो उंगलियोंकानुकसान	20
10	अंगूठे के टर्मिनलफैलनक्स कीहानि	20

विच्छेदन मामले-निचले अंग

11	दोनों पैरों में विच्छेदन परिणामस्वरूप अंत असर स्टंप	90
12	दोनों पैरों का मेटाटारसी के माध्यम से प्रौक्सिमल का विच्छेदन	80
13	दोनों पैरों की सभी अँगुलियों में मेटाटारसी के कारण फलेंगल जोड़ से हानि	40
14	दोनों पैरों की सभी अँगुलियों की अंतर फैलंगल जोड़ के निकट से क्षति	30
15	इंटर फैलंगल जोड़ से आगे दोनों पैर के पंजों की क्षति	20
16	कूल्हे कीविच्छेदन	90
17	कूल्हे के नीचे 5" से अधिक लम्बाई में रिचेंटर की बड़ी नोक से विच्छेदन	90
18	कूल्हे के नीचे 5" से अधिक लम्बाई में बड़े रिचेंटर से स्टंप परन्तु मध्य जांघ से आगे नहीं विच्छेदन	80
19	मध्य जांघ 31/2" नीचे से घुटने के नीचे तक विच्छेदन	60
20	घुटने के निचे 31/2" का ठूंठ परन्तु 5" से अधिक नहीं का विच्छेदन	50
21	घुटने के निचे 5" तक का स्टंप विच्छेदन	40
22	विच्छेदन से एक पैर की पूरी क्षति	30
23	एक पैर के समीपस्थ जोड़ से विच्छेदन	30
24	एक पैर की सभी अँगुलियों में मेटाटारसल फेलान्फल जोड़ से क्षति	20

अन्य चोटें

25	एक आंख का नुकसान, जटिलताओं के बिना , दूसरी आँख सामान्य	40
26	एक आंख की दृष्टि का नुकसान,जटिलता के बगैर यानेत्रगोलक की विरूपता, दूसरी सामान्य है	30

दाएँ या बाएँ हाथकीउंगलियाँ
तर्जनी

27	पूर्ण	14
28	दो फैलंगल	11
29	एकफैलंगल	9
30	टिप की हड्डी के नुक्सान के बिना गिलोटिन विच्छेदन	5

बीच की उँगली/ मध्यमिका

31	पूर्ण	12
32	दो फैलंगल	9
33	एकफैलंगल	7
34	टिप की हड्डी के नुक्सान के बिना गिलोटिन विच्छेदन	4

सीधी या छोटी उंगली

35	पूर्ण	7
36	दो फैलंगल	6
37	एकफैलंगल	5
38	टिप की हड्डी के नुक्सान के बिना गिलोटिन विच्छेदन	2

सीधी याबाएं पैरकी उंगलियाँ

39	मेटा टार्सो के माध्यम से - फैलंगल जोड़	14
40	हड्डी केकुछनुकसानके साथ	3

किसी भीअन्यपैर की अंगुली

41	मेटा टार्सो के माध्यम से - फैलंगल जोड़	3
42	हड्डी केकुछनुकसानके साथ	1

एक पैर की दो उंगलियाँ उंगलियोंबड़ी अंगुलीको छोड़कर

43	मेटा टार्सो के माध्यम से - फैलंगल जोड़	5
44	हड्डी केकुछनुकसानके साथ	2

एक पैर की तीन उंगलियाँ उंगलियोंबड़ी अंगुलीको छोड़कर

45	मेटा टार्सो के माध्यम से - फैलंगल जोड़	6
46	हड्डी केकुछनुकसानके साथ	3

एक पैर की चार उंगलियाँ उंगलियोंबड़ी अंगुलीको छोड़कर

47	मेटा टार्सो के माध्यम से - फैलंगल जोड़	9
48	भाग, हड्डी केकुछनुकसानके साथ	3

ध्यान दें:इस अनुसूची में निर्दिष्ट सदस्य के किसी भी अंग की पूर्ण और स्थायी नुकसान को अंग या सदस्य की हानि के बराबर समझा जाएगा.